

प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE



भारतीय रिजर्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

24 अक्टूबर 2025

भारतीय रिजर्व बैंक (एआईएफ में निवेश) निदेश, 2025 की छूट श्रेणी के अंतर्गत
SWAMIH निवेश निधि-I को शामिल करना

दिनांक 29 जुलाई 2025 के उपर्युक्त निदेशों के पैरा 7(बी) के अनुसार, यह निर्धारित किया गया है कि रिजर्व बैंक, भारत सरकार के परामर्श से, एक अधिसूचना द्वारा, कतिपय वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) को उपरोक्त निदेशों (पैराग्राफ 5 - "सामान्य आवश्यकता" को छोड़कर) और इसी संबंध में जारी 19 दिसंबर 2023 और 27 मार्च 2024 के पिछले परिपत्रों के दायरे से छूट दे सकता है।

इस संबंध में, SWAMIH (किफायती एवं मध्यम आय आवास के लिए विशेष पटल) निवेश निधि-I को उपरोक्त निर्दिष्ट छूट श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, उक्त निदेश में उचित संशोधन किया गया है, जिसमें छूट प्राप्त एआईएफ की सूची वाला एक अनुलग्नक भी जोड़ा गया है।

भारत सरकार के परामर्श से, आवश्यकतानुसार, अनुलग्नक को अद्यतन किया जाएगा।

(ब्रिज राज)

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1375

मुख्य महाप्रबंधक